

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-15/1310/एक-1-2017-1(44)/2014
लखनऊ: दिनांक: 12 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 2 सन् 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 4 के खण्ड (20) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित, जिला गोरखपुर की तहसील सदर के वन ग्रामों के क्षेत्र जो स्तम्भ-4 में उल्लिखित वन ग्राम में सम्मिलित थे, अब उससे अपवर्जित कर दिया जायेगा और उक्त अनुसूची के स्तम्भ-5 में यथा उल्लिखित नये राजस्व ग्राम में सम्मिलित किया जायेगा, और निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी विधि न्यायालय, जिसने उक्त वन ग्रामों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, में पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	कुल गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वन ग्राम का नाम जिसमें स्तम्भ-2 और स्तम्भ-3 में उल्लिखित भूमि स्थित है।	राजस्व ग्रामों का नाम जिसमें स्तम्भ-2 और स्तम्भ-3 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित की जायेगी।
1	2	3	4	5
1	01	49.355	जंगल तिनकोनिया नं0-3	जंगल तिनकोनिया नं0-3
2	06	10.432	जंगल रामगढ़ उर्फ रजही (खाले टोला)	जंगल रामगढ़ उर्फ रजही (खाले टोला)
3	03	15.782	आमबाग, रामगढ़	आमबाग, रामगढ़
4	02	15.371	रजही उर्फ रामगढ़ सरकार (आजादनगर)	रजही उर्फ रामगढ़ सरकार (आजादनगर)
5	03	17.537	चिलबिलवा	चिलबिलवा

2. राजस्व ग्राम जंगल तिनकोनिया नं0-3 में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
 - (1) उत्तर में ग्राम जंगल तिनकोनिया नं0-3
 - (2) दक्षिण में ग्राम जंगल तिनकोनिया नं0-3
 - (3) पूरब में ग्राम जंगल तिनकोनिया नं0-3
 - (4) पश्चिम में ग्राम जंगल तिनकोनिया नं0-3
3. राजस्व ग्राम रजही उर्फ रामगढ़ सरकार (आजादनगर) में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
 - (1) उत्तर में ग्राम जंगल रामगढ़ उर्फ रजही
 - (2) दक्षिण में गोरखपुर कसया मार्ग
 - (3) पूरब में ग्राम जंगल रामगढ़ उर्फ सरकार
 - (4) पश्चिम में ग्राम महा0झा0टु0 नं0-3
4. राजस्व ग्राम जंगल रामगढ़ उर्फ रजही (खाले टोला) में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
 - (1) उत्तर में जंगल रामगढ़ उर्फ सरकार
 - (2) दक्षिण में गोरखपुर कसया मार्ग
 - (3) पूरब में जंगल तुरानाला बादहू ग्राम इमिलिया उर्फ बिजहरा
 - (4) पश्चिम में ग्राम सड़क खाना ग्राम जंगल रामगढ़ उर्फ सरकार
5. राजस्व ग्राम आमबाग, रामगढ़ में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
 - (1) उत्तर में ग्राम जंगल रामगढ़ उर्फ सरकार
 - (2) दक्षिण में ग्राम जंगल रामगढ़ उर्फ सरकार
 - (3) पूरब में ग्राम जंगल रामगढ़ उर्फ सरकार बादहू तुरानाला, तुरानाला
 - (4) पश्चिम में ग्राम सड़क खाम ग्राम जंगल रामगढ़ उर्फ सरकार
6. राजस्व ग्राम चिलबिलवा में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
 - (1) उत्तर में ग्राम चिलबिलवा
 - (2) दक्षिण में ग्राम चिलबिलवा
 - (3) पूरब में ग्राम चिलबिलवा
 - (4) पश्चिम में ग्राम चिलबिलवा

आज्ञा से,

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या- /एक-1-2017-1(44)/2014
लखनऊ: दिनांक: अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 2 सन् 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 4 के खण्ड (20) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित, जिला गोरखपुर की तहसील सदर के वन ग्रामों के क्षेत्र जो स्तम्भ-4 में उल्लिखित वन ग्राम में सम्मिलित थे, अब उससे अपवर्जित कर दिया जायेगा और उक्त अनुसूची के स्तम्भ-5 में यथा उल्लिखित नये राजस्व ग्राम में सम्मिलित किया जायेगा, और निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी विधि न्यायालय, जिसने उक्त वन ग्रामों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, में पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	कुल गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वन ग्राम का नाम जिसमें स्तम्भ-2 और स्तम्भ-3 में उल्लिखित भूमि स्थित है।	राजस्व ग्रामों का नाम जिसमें स्तम्भ-2 और स्तम्भ-3 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित की जायेगी।
1	2	3	4	5

1	01	49.355	जंगल तिनकोनिया नं0-3	जंगल तिनकोनिया नं0-3
2	06	10.432	जंगल रामगढ उर्फ रजही (खाले टोला)	जंगल रामगढ उर्फ रजही (खाले टोला)
3	03	15.782	आमबाग, रामगढ	आमबाग, रामगढ
4	02	15.371	रजही उर्फ रामगढ सरकार (आजादनगर)	रजही उर्फ रामगढ सरकार (आजादनगर)
5	03	17.537	चिलबिलवा	चिलबिलवा

-2-

2. राजस्व ग्राम जंगल तिनकोनिया नं0-3 में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
 - (1) उत्तर में ग्राम जंगल तिनकोनिया नं0-3
 - (2) दक्षिण में ग्राम जंगल तिनकोनिया नं0-3
 - (3) पूरब में ग्राम जंगल तिनकोनिया नं0-3
 - (4) पश्चिम में ग्राम जंगल तिनकोनिया नं0-3
3. राजस्व ग्राम रजही उर्फ रामगढ सरकार (आजादनगर) में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
 - (1) उत्तर में ग्राम जंगल रामगढ उर्फ रजही
 - (2) दक्षिण में गोरखपुर कसया मार्ग
 - (3) पूरब में ग्राम जंगल रामगढ उर्फ सरकार
 - (4) पश्चिम में ग्राम महा0झा0टु0 नं0-3
4. राजस्व ग्राम जंगल रामगढ उर्फ रजही (खाले टोला) में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
 - (1) उत्तर में जंगल रामगढ उर्फ सरकार
 - (2) दक्षिण में गोरखपुर कसया मार्ग
 - (3) पूरब में जंगल तुरानाला बादहू ग्राम इमिलिया उर्फ बिजहरा
 - (4) पश्चिम में ग्राम सड़क खाना ग्राम जंगल रामगढ उर्फ सरकार
5. राजस्व ग्राम आमबाग, रामगढ में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
 - (1) उत्तर में ग्राम जंगल रामगढ उर्फ सरकार
 - (2) दक्षिण में ग्राम जंगल रामगढ उर्फ सरकार
 - (3) पूरब में ग्राम जंगल रामगढ उर्फ सरकार बादहू तुरानाला, तुरानाला

- (4) पश्चिम में ग्राम सड़क खाम ग्राम जंगल रामगढ़ उर्फ सरकार
6. राजस्व ग्राम चिलबिलवा में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नलिखित रूप में होगी:-
- (1) उत्तर में ग्राम चिलबिलवा
 - (2) दक्षिण में ग्राम चिलबिलवा
 - (3) पूरब में ग्राम चिलबिलवा
 - (4) पश्चिम में ग्राम चिलबिलवा

आज्ञा से,

(डा० रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

Shvasanvadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- /एक-1-2017-1(44)/2014

लखनऊ: दिनांक: अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या 2 सन् 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 4 के खण्ड (20) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित जिला गोरखपुर की तहसील सदर के ग्राम जो स्तम्भ-4 में उल्लिखित वन ग्रामों में सम्मिलित थे, अब उसे अपवर्जित कर दिया जायेगा और उक्त अनुसूची के स्तम्भ-5 में यथा उल्लिखित नये राजस्व ग्राम में सम्मिलित किया जायेगा, एवं इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय, जो उक्त वन ग्राम के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग करता रहा है, में पहले ही प्रारम्भ की गयी या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

2. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 4 के खण्ड (20) के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

अनुसूची

क्र०सं०	कुल गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वन ग्राम का नाम जिसमें स्तम्भ-2 व स्तम्भ-3 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित है	राजस्व ग्राम का नाम जिसमें स्तम्भ-2 व स्तम्भ-3 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित की जायेगी
1	2	3	4	5
1	01	49.355	जंगल तिनकोनिया नं०-3	जंगल तिनकोनिया नं०-3
2	06	10.432	जंगल रामगढ़ उर्फ रजही (खाले टोला)	जंगल रामगढ़ उर्फ रजही (खाले टोला)
3	03	15.782	आमबाग, रामगढ़	आमबाग, रामगढ़
4	02	15.371	रजही उर्फ रामगढ़ सरकार (आजादनगर)	रजही उर्फ रामगढ़ सरकार (आजादनगर)
5	03	17.537	चिलबिलवा	चिलबिलवा

-2-

-2-

3. राजस्व ग्राम जंगल तिनकोनिया नं०-3 में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नांकित होगी:-
 - (1) उत्तर में ग्राम जंगल तिनकोनिया नं०-3
 - (2) दक्षिण में ग्राम जंगल तिनकोनिया नं०-3
 - (3) पूरब में ग्राम जंगल तिनकोनिया नं०-3
 - (4) पश्चिम में ग्राम जंगल तिनकोनिया नं०-3
4. राजस्व ग्राम रजही उर्फ रामगढ़ सरकार (आजादनगर) में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नांकित होगी:-
 - (1) उत्तर में ग्राम जं० रामगढ़ उर्फ रजही
 - (2) दक्षिण में गोरखपुर कसया मार्ग
 - (3) पूरब में ग्राम जंगल रामगढ़ उर्फ सरकार
 - (4) पश्चिम में ग्राम महा०झा०,टु०नं०-3
5. राजस्व ग्राम जंगल रामगढ़ उर्फ रजही (खाले टोला) में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नांकित होगी:-
 - (1) उत्तर में जं० रामगढ़ उर्फ सरकार
 - (2) दक्षिण में गोरखपुर कसया मार्ग
 - (3) पूरब में तुरानाला बादहू ग्राम इमिलिया उर्फ बिजहरा

- (4) पश्चिम में सड़क खाना ग्राम जं० रामगढ़ उर्फ सरकार
6. राजस्व ग्राम आमबाग रामगढ़ में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नांकित होगी:-
- 1) उत्तर में जं० रामगढ़ उर्फ सरकार
 - (2) दक्षिण में जं० रामगढ़ उर्फ सरकार
 - (3) पूरब में जं० रामगढ़ उर्फ सरकार बादहू तुरानाला
 - (4) पश्चिम में सड़क खाम ग्राम जं० रामगढ़ उर्फ सरकार
7. राजस्व ग्राम चिलबिलवा में सम्मिलित क्षेत्र की चौहद्दी निम्नांकित होगी:-
- (1) उत्तर में ग्राम चिलबिलवा
 - (2) दक्षिण में ग्राम चिलबिलवा
 - (3) पूरब में ग्राम चिलबिलवा
 - (4) पश्चिम में ग्राम चिलबिलवा

आज्ञा से,

(डा० रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

Shvasanvadesh.up.nic.in